

राजस्थान में स्थान का कार्यकाल पूरा करने वाले मंत्रालय के अधिकारी

817. श्री धर्मवास शास्त्री: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जयपुर (राजस्थान) में संचार मंत्रालय के अधीन निदेशक के पद तक के ऐसे कितने राजपत्रित अधिकारी हैं जो 4 वर्ष की अवधि और 6 वर्ष का स्थान (स्टेशन) का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और इस बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन अधिकारियों का किन-किन आधारों पर स्थानान्तरण नहीं किया गया है?

संचार मंत्री (श्री सी. एम. स्टीफन):

(क) 8 अधिकारियों ने 6 वर्ष का स्थान (स्टेशन) कार्यकाल तथा 5 अधिकारियों ने 4 वर्ष की पदावधि पूरी कर ली है जिसका ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अधिकारियों के स्थानान्तरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्थानान्तरण केवल पदान्ति, प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी हो जाने अथवा किन्हीं बहुत खास वैयक्तिक कारणों की स्थिति में ही किए जाते हैं।

विवरण

(1) श्रीमती जे. के. नीलम, सहायक पोस्टमास्टर जनरल, जयपुर-14-1-74 से 8-5-75 तक और निदेशक डाक सेवा-14-7-75 से आगे।

(2) श्री वी. पी. कौशल, पोस्टमास्टर, जयपुर मुख्य डाकघर-11-6-73 से आगे।

(3) डा. (श्रीमती) विमला जैन, महिला चिकित्सा अधिकारी, डाक तार अस्पताल जयपुर-14-11-72 से।

(4) श्री ए. एल. चापड़ा, उपमंडल अधिकारी, दूरसंचार-जून 1973 से आगे।

(5) श्री आर. एन. दास, सहायक इंजीनियर-जुलाई 1972 से आगे।

(6) श्री आर. एन. सिंह, सहायक इंजीनियर-सितम्बर 1972 से आगे।

(7) श्री बी. एस. सक्सेना, सहायक निदेशक-सितम्बर 1973 से आगे।

(8) श्री डी. के. गुप्ता, जिला प्रबंधक, टेलीफोन-1972 से आगे।

(9) श्री टी. वी. एन. गुप्ता, कल्याण अधिकारी-24-1-75 से आगे।

टिप्पणी:-1. उपरोक्त पहलें आठ अधिकारियों ने उस स्थान (स्टेशन) पर 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है।

2. सूची में क्रम सं. 1 से 4 तक तथा क्रम सं. 9 के पांच अधिकारियों ने 4 वर्ष की पदावधि पूरी कर ली है।

Vacation of Govt. Accommodation by Ex-Members of Parliament

819. SHRI CHANDRABHAN ATHARE PATIL: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of former Members of Parliament have not vacated the Government accommodation;

(b) if so, the total amount of arrears in rent due from such former M.Ps. as on 1st April, 1980 indicating the periods for which the former M.Ps. have retained their houses after dissolution of the Lok Sabha or termination of their membership in Rajya Sabha;

(c) if so, steps being taken to get these houses vacated and recover the arrears; and

(d) the number of present Members of Parliament who are without regular Government accommodation?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING (SHRI P. C. SETHI): (a) Yes, Sir.

(b) A statement showing the names of Ex-Members of Parliament of 6th Lok Sabha who continue to be in occu-